

राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :- 1875/2022

अतुल शर्मा

—अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये अतिरिक्त मुख्य शासन सचिव, भारतीय चिकित्सा एवं आयुर्वेद विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक, भारतीय चिकित्सा एवं आयुर्वेद विभाग, अजमेर (राज.)।
3. उप निदेशक (जयपुर-बी), भारतीय चिकित्सा एवं आयुर्वेद विभाग, आयुष भवन, एनआरआई सर्किल, सेक्टर-26, प्रताप नगर, जयपुर (राज.)।

—प्रत्यर्थागण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 03.06.2022

आदेश की दिनांक : 26.10.2023

उपस्थित —

अपीलार्थी की ओर से : श्री सलीम खान, अभिभाषक

प्रत्यर्थागण की ओर से : श्री हेमन्त धारीवाल, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :- शुचि शर्मा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी ने यह अनुतोष चाहा है कि अपील स्वीकार कर प्रत्यर्थागण विभाग को यह निर्देश दिए जावें कि अपीलार्थी को प्रथम नियुक्ति दिनांक से सेवा की गणना करते हुए चयनित वेतनमान का लाभ प्रदान किया जावे।

अपील के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार हैं :-

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति दिनांक 03.02.1993 को आयुर्वेद चिकित्सक/आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी के पद पर आवश्यक अस्थाई आधार पर हुई थी और उसे स्क्रीनिंग कमेटी की अभिशंषा पर दिनांक 15.06.2007 से नियमित किया गया। विभाग द्वारा 10, 20 एवं 30 वर्ष की सेवा के आधार पर अवधि की गणना करते हुए चयनित वेतनमान का लाभ दिया गया। उनका कथन है कि नियम, 1973 के अंतर्गत वैद्य ग्रेड द्वितीय के पद पर जो नियम 1966 के अंतर्गत नियुक्त किए गए थे और इस प्रकार आयुर्वेद चिकित्सक तदर्थ/आवश्यक अस्थाई आधार पर दिनांक 05.05.1990 कमेटी द्वारा स्क्रीनिंग किए गए उन्हें आयुर्वेद चिकित्सक के पद पर समायोजित किए गए। इसी

प्रकार होम्योपैथी एवं यूनानी में भी समायोजित किए गए और इस प्रकार प्रथम नियुक्ति दिनांक से चयनित वेतनमान का लाभ न देकर नियमित नियुक्ति दिनांक से चयनित वेतनमान का लाभ दिया जाना नियम विरुद्ध है। अपीलार्थी नियमित सेवा के विरुद्ध नियमित वेतनमान के अंतर्गत आदेश दिनांक 03.02.1993 के द्वारा मेरिट आधार पर नियुक्ति हुई है और सेवाएं दे रहा है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने भी राजस्थान राज्य बनाम चंद्राराम 2017(2) डब्ल्यू.एल.सी. (यू.सी.) 764 में भी सिद्धांत प्रतिपादित किया है। उनका कथन है कि राजस्थान सेवा नियम के नियम 29 में वार्षिक वेतन वृद्धि को नहीं रोके जाने का प्रावधान है और इस प्रकार अपीलार्थी वार्षिक वेतन वृद्धि एवं चयनित वेतनमान प्रारंभिक नियुक्ति दिनांक से प्राप्त करने का हकदार है। आदेश दिनांक 19.08.2015 जो आयुर्वेद निदेशक द्वारा जारी किया गया है, जिसमें आदेश दिनांक 27.02.2007 के द्वारा जो कार्मिक स्क्रीन किए गए हैं, उन्हें कार्यग्रहण तिथि से नियमित मानते हुए लाभ प्रदान किए गए हैं। परंतु जो स्क्रीनिंग वर्ष 2007 से पूर्व आवश्यक अस्थाई आधार पर नियुक्ति तिथि से विचार नहीं किया गया है, जो नियम विरुद्ध है।

अतः उक्त आधारों पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिए जावें कि अपीलार्थी को प्रथम नियुक्ति दिनांक से सेवा की गणना करते हुए चयनित वेतनमान का लाभ प्रदान किया जावे।

प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान् राजकीय अधिवक्ता ने अपील में लिखित जवाब प्रस्तुत करते हुए यह प्रतिवाद किया है कि अपीलार्थी को वर्ष 1993 में तदर्थ आधार पर रूपये 2000/- मासिक वेतन के आधार पर नवीन आशार्थी आरपीएससी द्वारा चयनित होने तक के लिए नियुक्त किया गया था और आदेश दिनांक 15.06.2007 के द्वारा उसे आरपीएससी की अभिशंषा के आधार पर नियमित किया गया और इस प्रकार अपीलार्थी नियमित नियुक्ति दिनांक से चयनित वेतनमान आदि का लाभ प्राप्त करने का अधिकारी है। अतः अपीलार्थी की अपील खारिज फरमाई जावे।

हमने उभय पक्ष के विद्वान् अधिवक्तागण को ध्यानपूर्वक सुना एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का अवलोकन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिवचनों एवं अभिलेख से यह स्पष्ट होता है कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति दिनांक 03.02.1993 को आयुर्वेद चिकित्सक/आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी के पद पर आवश्यक अस्थाई आधार पर हुई थी और उसे स्क्रीनिंग कमेटी की अभिशंषा पर दिनांक 15.06.2007 से नियमित किया गया। विभाग द्वारा 10, 20 एवं 30 वर्ष की सेवा के आधार पर अवधि की गणना करते हुए

चयनित वेतनमान का लाभ दिया गया। नियम, 1973 के अंतर्गत वैद्य ग्रेड द्वितीय के पद पर जो नियम 1966 के अंतर्गत नियुक्त किए गए थे और इस प्रकार आयुर्वेद चिकित्सक तदर्थ/आवश्यक अस्थाई आधार पर दिनांक 05.05.1990 कमेटी द्वारा स्क्रीनिंग किए गए उन्हें आयुर्वेद चिकित्सक के पद पर समायोजित किए गए। इसी प्रकार होम्योपैथी एवं यूनानी में भी समायोजित किए गए और इस प्रकार प्रथम नियुक्ति दिनांक से चयनित वेतनमान का लाभ न देकर नियमित नियुक्ति दिनांक से चयनित वेतनमान का लाभ दिया जाना नियम विरुद्ध है। जहां तक अपीलार्थी को प्रथम नियुक्ति दिनांक 03.02.1993 से चयनित वेतनमान का लाभ एवं समस्त सेवा परिलाभ नहीं दिए जाने का प्रश्न है, अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति राजस्थान आयुर्वेद चिकित्सक, होम्योपैथी एवं नेचुरोपैथिक सेवा नियम, 1973 के नियम 27 के अंतर्गत आयुर्वेद चिकित्सक/आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी के पद पर आवश्यक अस्थाई आधार पर आदेश दिनांक 03.09.1993 के द्वारा हुई थी और विभाग के आदेश दिनांक 15.06.2007 के द्वारा अपीलार्थी को नियमित किया गया तथा समस्त वेतन आदि का लाभ अपीलार्थी को नियमित नियुक्ति दिनांक से प्रदान किया गया। जबकि आदेश दिनांक 03.02.1993 के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी को रिक्त पदों के विरुद्ध वेतन श्रृंखला 2000-60-2300-75-3200-100-3500 में मूल वेतन रुपये 2000/- एवं नियमानुसार देय अन्य भत्तों पर तदर्थ रूप से नियुक्ति दी गई थी और आदेश दिनांक 07.11.2013 के अनुलग्नक-3 के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अपीलार्थी को एवं 38 अन्य कार्मिकों को एसीपी की स्वीकृति प्रदान की गई, जिसमें अपीलार्थी की नियमित नियुक्ति दिनांक 04.02.1993 दर्शायी गई है, इससे यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी की नियमित नियुक्ति दिनांक 04.02.1993 है और अपीलार्थी भी उक्त तिथि से वेतन आदि का लाभ प्राप्त करने का अधिकारी है। अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने बहस के दौरान एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 11021/2020 विजेन्द्र कुमार त्यागी व अन्य बनाम राजस्थान राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 12.01.2023 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा आलोच्य आदेश दिनांक 31.07.2020 को अपास्त किया जा चुका है एवं यह सिद्धांत प्रतिपादित किया है कि प्रार्थीगण समस्त सेवा परिलाभ आदि का लाभ प्रथम नियुक्ति दिनांक से ही प्राप्त करने के अधिकारी हैं न कि विभाग द्वारा स्क्रीनिंग टेस्ट की दिनांक से। विभाग द्वारा रोके गए पेंशनरी लाभ आदि को 4 सप्ताह के अंदर दिए जाने का आदेश भी दिया गया है। उपर्युक्त माननीय उच्च न्यायालय द्वारा उक्त मामले में प्रतिपादित सिद्धांत के प्रकाश में अपीलार्थी भी उक्त लाभ (प्रथम नियुक्ति दिनांक से समस्त सेवा

लाभ/पेंशन परिलाभ) प्राप्त करने का हकदार है। अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार किए जाने योग्य है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाती है तथा आलोच्य आदेश दिनांक 31.07.2020 को अपीलार्थी की सीमा तक अपास्त किया जाता है एवं प्रत्यर्थी विभाग को निर्देश दिए जाते हैं कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 11021 / 2020 विजेन्द्र कुमार त्यागी व अन्य बनाम राजस्थान राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 12.01.2023 के द्वारा उक्त आलोच्य आदेश को अपास्त किया जा चुका है, को ध्यान में रखते हुए अपीलार्थी को भी प्रथम नियुक्ति दिनांक से समस्त पेंशन परिलाभ आदि प्रदान किए जावें। अधिकरण द्वारा पारित स्थगन आदेश दिनांक 12.01.2023 की पुष्टि (confirm) की जाती है। उक्त निर्देशों की पालना इस आदेश के जारी होने की दिनांक से तीन माह में सुनिश्चित की जावे।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य